Challan Form

ख०नि०−६ T.R.-6 (खजाना नियम 92 देखिए) (See Rule 92) (मुख्य पृष्ट) (Obverse)

चालान न० Challan No.

कृपया बतायें Please indicate whether रेलवे/Railway

सिविल/Civil रक्षा/Defence डाकतार/Post & Telegraphs

खजाना/उप-खजाना भारत के स्टेट/रिजर्व बैंक

में संदत्त नकद का चालान

Challan of cash paid into Treasury/Sub-Treasury

State/Reserve Bank of India

at. CENTRAL

SECRETARIAT NORTH BLOCK

प्रेषक द्वारा भरा जाए			विभागीय आफिसर या खजाने द्वारा भरा जाए					
To be filled in by the remitter				To be filled in by the Departmental Officer or the Treasury				
किसके द्वारा निविदत्त किया गया By when tendered	उस व्यक्ति का नाम (या पदाभिधान) और पता जिसकी ओर से धन संदत्त किया गया Name (or designa- tion and address of the person on whose behalf money is paid	प्रेषण की ओर/या पदाधिकारी की (यदि कोई हो) पूर्ण विशिष्टयाँ Full particulars of the remittance andor authority (if any)	रकम Amount		लेखा शीर्षक Head of Account	लेखा आफिसर जिसके द्वारा समायोजन हो सकता है Account Officer by whom adjustable	बैंक का आदेश 🗍	
नाम Name हस्ताक्षर Signature		जोड़ * Total*	₹o Rs.	Фо Р.	0070-A05-C05-0R	PAO (MHA)	तारीख सही है। प्राप्त करो और रसीद अनुदत्त करो (धन संदत्त करने का आदेश देने वाले आफिसर का नाम और पूरा पदाभिधान) Date Correct: Receive and grant receipt. (Signature and full Designation of the Officer ordering the money to be paid in).	
* रुपये (शब्दों में) * (infwords) Rupees			•		विभागीय आफिसर ा खजाना आफिसर की मार्फत केवल बैंक को किए जाने वाले प्रेषणों की दशा में प्रयुक्त किया जाए To be used only in the case of remittences to the Bank through Departmental Officer of the Treasury Officer			

कोषपाल Treasurer लेखापाल Accountant तारीख Date

/ अभिकर्त्ता या प्रबंधक Treasury Officer Agent or Manager (কৃ০पৃ০ৰ**০/P.T**.O.)